

ऋग्वेदुभारवामिणितस्य

तत्त्वार्थसूत्रस्य

श्री श्रुतसागरसूशिविचिता

तत्त्वार्थवृत्तिः

★ अनुवादिका ★

पूज्य गणिनी आर्यिका १०५ श्री सुपाश्वर्मती माताजी

★ सम्पादक ★

डॉ. चेतनप्रकाश पाटनी, जोधपुर

★ सह-सम्पादक ★

बा.ब्र. डॉ. प्रमिला जैन

★ अर्थ सहयोग ★

श्री आकाश, आलोक, आशीष एवं

अनुराग की माताश्री श्रीमती मुन्नीदेवी

सीलचर (आसाम)

स्वर्णिम अमृत महोत्सव की भेंट

उपभोगश्च परिभोगश्च उपभोगपरिभोगौ तयोः परिमाणम् उपभोगपरिभोगपरिमाणम् । भोगोपभोगपरिमाणमिति च क्वचित्पाठो वर्तते । तत्र अशनादिकं यत्सद्बुद्ध्युत्पद्यते स भोगः, वस्त्रवनितादिकं यत् पुनः पुनर्भुज्यते स उपभोगः । उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रते नियतकालसम्बन्धेऽपि मद्यं मांसं मधु च सदैव परिहरणीयं त्रसघातनिवृत्तचित्तोत्पत्तौ पुंसा । केतकिनिवृत्तुसुपाद्रकमूलकसर्वपुष्पानन्तकायिकछिद्रशाकनालीनतादिकं बहुजन्तुयोनिस्थानं तदपि यावज्जीवं परिहर्तव्यं बहुघाताल्पफलत्वात् । तथा चोक्तम्—

“अल्पफलबहुविघातात्मलकमाद्राणि शृङ्गवेराणि ।
नवनतीनिम्बकुसुमं केतकमित्येवमवहेयम् ॥”

[रत्नक० ३।३६]

अथोपभोगविचारः—यानवाहनभूषणवसनादिकमेतावन्मात्रमेव ममेष्टमन्यदनिष्ट-
मिति ज्ञात्वा अनिष्टपरिहारः कालमर्यादया यावज्जीवं वा कर्तव्यः ।

संयममविराधयन् अतति भोजनार्थं गच्छति यः सोऽतिथिः । अथवा न विद्यते

अशन (भोजन), पान, गन्ध, माला, ताम्बूल आदि उपभोग कहलाते हैं । आच्छादन, प्रावरण (ओढ़ने-बिछाने आदि के वस्त्र) आभूषण, शय्या, आसन, घर, यान, वाहन, वनिता आदिक वस्तुएँ परिभोग कहलाती हैं । उपभोग और परिभोग में आने वाली वस्तुओं का परिमाण करना उपभोगपरिभोग परिमाण है । उपभोग और परिभोग के स्थान में भोग और उपभोग का भी प्रयोग किया जाता है । जो अशन आदि वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं और जो स्त्री, वस्त्र, वाहन आदि वस्तुएँ बार-बार भोगने में आती हैं, वे उपभोग हैं । नियतकाल सम्बन्धी भी उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत में त्रसघात के त्यागी पुरुषों को मद्य, मांस, मधु का यावज्जीवन त्याग कर देना चाहिए तथा जिनके अक्षय में फल तो थोड़ा होता है और जीवों की हिंसा बहुत होती है, ऐसे केतकी के फूल, नीम के फूल, अदरक, मूली, सर्वपुष्प, अनन्तकायिक, छिद्रवाली शाक, नाली, नल आदि बहुत जीवों के योनिस्थान रूप वस्तुओं का यावज्जीवन त्याग करना चाहिए । सोही कहा है—

“जिनके सेवन से अल्पफल और बहुत जीवों का घात होता है ऐसे मूल (कम्बूल), गोला अदरक, मखन, नीम के फूल, केतकी के फूल, आदि का त्याग कर देना चाहिए ।”

उपभोग विचार—यान, वाहन, आभूषण, वस्त्र आदि उपभोग वस्तुओं में “इतनी वस्तुएँ मुझे इष्ट हैं, अन्य वस्तुएँ अनिष्ट हैं” ऐसा जानकर कालमर्यादा से वा यावज्जीवन त्याग करना चाहिए ।

संयम की विराधना नहीं करते हुए भोजन (आहार) के लिए (अतति) भ्रमण करते हैं उनको अतिथि कहते हैं । अथवा जिसके प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि तिथियाँ नहीं हैं, उसे

तिथिः प्रतिपद्वितीयातृतीयादिका यस्य सः अतिथिः अनियतकालभिक्षागमन इत्यर्थः । अतिथये समीचीनो विभागः निजभोजनाद् विशिष्टभोजनप्रदानमतिथिसंविभागः । स चतुर्विधो भवति—भिक्षादानम् उपकरणवितरणमौषधविश्रागनमावासाप्रदानमिति । यो मोक्षार्थं उद्यतः संयमतत्परः शुद्धश्च भवति तस्मै निर्मलेन चेतसा अनवद्या भिक्षा दातव्या, धर्मोपकरणानि च पिच्छुस्तकपट्टकमण्डल्या (लवा) दीनि रत्नत्रयवर्द्धकानि प्रदेयानि, औषधमपि योग्यमेव देयम्, आवासश्च परमधर्मश्रद्धया प्रदातव्यः । अत्र च निनस्तनपनूजादिकं वक्तव्यम् । एतानि चत्वारि शिक्षाव्रतानि भवन्ति । मातृपित्रादिवचन-वदपत्यानामणुव्रतानां शिक्षाप्रदायकानि अविनाशकारकाणीत्यर्थः ।

अथ चशब्देन गृहीतम् अपरमपि श्रावकव्रतं प्रतिपादयन् सूत्रमिदमाचष्टे—

मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥

निजपरिणामेन पूर्वभवादुपाजितमायुः इन्द्रियाणि च वलानि च तेषां कारणावशेन योऽसौ विनाशः संशयः तन्मरणमुच्यते । “मूढः प्राणस्योगे” [] इति वचनात् ।

अतिथि कहते हैं । जिनके अनियतकाल भिक्षागमन है अर्थात् भिक्षा का गमन-काल निश्चित नहीं है, उसे अतिथि कहते हैं । उस अतिथि के लिए समीचीन विभाग, निज भोजन में से विशिष्ट भोजन प्रदान करना अतिथिसंविभाग है । वह अतिथिसंविभाग चार प्रकार का है—आहारदान, उपकरण (जास्त्र पिच्छिका कमण्डलु) दान, औषधिदान और वसतिकादान (निवासस्थानदान) जो मोक्ष पाने के लिए उद्यत है, संयम के पालन करने में तत्पर है और शुद्ध है, उस अतिथि के लिए निर्मल-चित्त (शुद्धमन) से निर्दोष भिक्षा देनी चाहिए । रत्नत्रय के वर्द्धक पिच्छिका, पुस्तक, स्लेट, कमण्डलु आदि धर्मोपकरण भी प्रदान करने चाहिए । योग्य औषधि देनी चाहिए तथा परम धर्मश्रद्धापूर्वक निवासस्थान भी देना चाहिए । सूत्रस्थ ‘च’ शब्द से जिवेन्द्रबिम्ब का अभिदेक-पूजन आदि श्रावक के कर्तव्यों का भी कथन करना चाहिए । अर्थात् १२ व्रतों के अन्तर्गत देवपूजन, अभिदेक, स्वाध्याय आदि भी करना चाहिए । ये चार शिक्षाव्रत होते हैं; जिसप्रकार माता, पिता आदि के वचन पुत्र-पौत्रादिक की शिक्षा के लिए होते हैं; उनके अविनाश के कारण होते हैं, उसी प्रकार अणुव्रतों के शिक्षाप्रदायक और उनके अविनाश के कारण होने से इनको शिक्षाव्रत कहते हैं ।

अब ‘च’ शब्द से गृहीत दूसरे भी श्रावक के व्रतों का प्रतिपादन करते हुए यह सूत्र कहते हैं—

वह (गृहस्थ) मारणान्तिक सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला होता है ॥२२॥

अपने परिणामों से उपार्जित आयु, इन्द्रियों और मन, वचन, काय, रूप, बल का कारण-विशेष से जो नाश होता है, क्षय होता है, उसे मरण कहते हैं । मरण ही अन्तमं है, जिसके वह

ज्ञानोपयोग उच्यते । ४। भवदुःखादानिशं भीस्ता संवेगः कथ्यते । ५। आहाराभयज्ञानानां त्रयाणां विधिपूर्वकमात्मशक्त्यनुसारेण पात्राय दानं शक्तितस्याग उच्यते । ६। निजशक्ति-प्रकाशनपूर्वकं जैनमार्गाविरोधी कायक्लेशः शक्तितस्तप उच्यते । ७। यथा भाण्डगारोऽनी समुत्थिते येन केनचिदुपायेन तदुपशमनं विधीयते बहूनामुपकारकत्वात् तथाऽनेकव्रत-शीलसमन्वितस्य यतिजनस्य कुतश्चिद्विघ्ने समुत्पन्ने सति विघ्ननिवारणसं माधि, साधूनां समाधिः साधुसमाधिः । ८। अनवद्येन विधिना गुणवतां दुःखापनयनं वैयावृत्यमुच्यते । ९। अर्हतां स्तनपूजनगुणस्त्ववननामजपनादिकमहंद्भक्तित्तिगद्यते । १०। आचार्याणामपूर्वोप-करणदानं सम्मुखगतं सम्भ्रमविधानं पादपूजनं दानसम्मानादिविधानं मनःशुद्धियुक्तोऽनु-रागश्चाचार्यभक्तिरुच्यते । ११। तथा बहुश्रुतभक्तिरपि ज्ञातव्या । १२। तथा प्रवचने रत्न-त्रयादिप्रतिपादकलक्षणे मनःशुद्धियुक्तोऽनुराग प्रवचनभक्तिरुच्यते । १३। सामाधिके चतुर्वि-शतिस्त्वे एकतीर्थकरवन्दनायां कृतदोषनिराकरणलक्षणप्रतिक्रमणे नियतकालागामिदोष-परिहरणलक्षणे प्रत्याख्याने शरीरममत्वपरिहरणलक्षणे कार्योत्सर्गे च एवंविधे षडवश्यके यथाकालप्रवर्तनम् आवश्यकतापरिहृणिरुच्यते । १४। ज्ञानेन दानेन जिनपूजनविधानेन तपोऽनुष्ठानेन जिनधर्मप्रकाशनं मार्गप्रभावना भण्यते । १५। यथा सद्यः प्रसूता धेनुः स्ववत्से स्नेहं करोति तथा प्रवचने सधर्मिणि जने स्नेहत्वं प्रवचनवत्सलत्वमभिधीयते । १६।

बाले ज्ञानं निरन्तरं उद्योगं करना अभीक्षणज्ञानोपयोग है । ४। संसार के दुःखों से भयभीत रहना संवेग है । ५। अपनी शक्ति के अनुसार आहार, अभय और ज्ञान का पात्र के लिए विधिपूर्वक दान देना शक्तितस्याग है । ६। अपनी शक्ति के अनुसार जिनैन्द्रकथित कायक्लेश करना तप है । ७। जैसे भाण्डगार में अग्नि लग जाने पर बहुउपकारी होने से किसी भी उपाय से उसका शमन किया जाता है, उसी प्रकार व्रतशीलधारी यतिजनों पर किसी निमित्त से कोई विघ्न उपस्थित होने पर उस विघ्न को दूर करना साधुसमाधि है । ८। निदोष विधि से गुणवान् पुरुषों के दुःख दूर करना वैयावृत्य है । ९। अरिहस्त का अभियेक, पूजन, गुणस्त्ववन, नाम का जप आदि करना अर्हदमक्ति है । १०। आचार्यदेव को तूतन उपकरण (विच्छिका कमण्डलु शास्त्र आदि) प्रदान करना, उनके सम्मुख गमन, उनका आदर, पादपूजन, सम्मान और मनःशुद्धि युक्त उनके प्रति अनुराग आचार्यभक्ति है । ११। इसी प्रकार उपाध्याय के प्रति अनुराग बहुश्रुतभक्ति है । १२। रत्नत्रयादि के प्रतिपादक आगम में मनःशुद्धियुक्त अनुराग का होना प्रवचनभक्ति है । १३। रागद्वेष का परिहार सामाधिक है, चौबीस तीर्थकर का स्त्ववन स्तुति है । एक तीर्थकर की स्तुति बन्दना है । किये हुए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है । नियत काल तक भविष्यकालीन पापों का परिहार प्रत्याख्या है । शरीर का ममत्व छोड़ना कार्योत्सर्ग है । इन छह आवश्यकों में यथाकाल प्रवृत्ति करना आवश्यकतापरिहृणि है । १४। ज्ञान, दान, जिनपूजन-विधान और तप-अनुष्ठान के द्वारा जिन धर्म का प्रकाशन करना मार्गप्रभावना है । १५। सद्यः प्रसूता गाय जिस प्रकार अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसी प्रकार प्रवचन और साधर्मिजनों के प्रति स्नेहत्व होना प्रवचनवत्सलत्व है । १६।

अत्र समासशुद्धिः—दर्शनस्य विशुद्धिः दर्शनविशुद्धिः । विनयेन सम्पन्नता परिपूर्णता विनयसम्पन्नता । शीलानि च व्रतानि च शीलव्रतानि तेषु शीलव्रतेषु न अतिचारः अनति-चारः । अभीक्षणमविच्छिन्नं ज्ञानस्य उपयोगोऽध्यासः अभीक्षणज्ञानोपयोगः, अभीक्षा-ज्ञानोपयोगश्च संवेगश्च अभीक्षणज्ञानोपयोगसंवेगौ । शक्तितस्यागश्च तपश्च शक्तितस्याग-तपसी । साधूनां साधुषु वा समाधिः साधुसमाधिः । व्यावृत्तेर्भावो वैयावृत्यं वैयावृत्यस्य करणं विधानं वैयावृत्यकरणम् । अर्हत्तश्च आचार्यश्च बहुश्रुताश्च प्रवचनञ्च अर्हदा-चार्यबहुश्रुतप्रवचनानि तेषां तेषु वा भक्तिः अर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिः । मुमुहूर्ताधिन-पेक्षम् अवश्यं निश्चयेन कर्तव्यानि आवश्यकानि तेषामपरिहृणियाः आवश्यकतापरिहृणियाः । मार्गस्य प्रभावना मार्गप्रभावना । प्रवचने वत्सलत्वं प्रवचनवत्सलत्वम् । आवश्यकता-परिहृणियश्च मार्गप्रभावना च प्रवचनवत्सलत्वञ्च आवश्यकतापरिहृणिमार्गप्रभावनाप्रवचन-वत्सलत्वं समाहारो द्वन्द्वः । इति षोडश प्रत्ययाः । एतानि षोडशकारणानि तीर्थकरत्वस्य तीर्थङ्करनामकर्मणो आस्रवकारणानि भवन्ति ।

अथ उच्चनीचोत्रद्वयस्यास्रवसूचनपरं सूत्रद्वयं मनसि श्रुत्वा तत्र तावन्नीचोत्रस्य आस्रवकारणं निरूपयन्तः सूत्रमिदमाहुः—

परात्मनिन्द्याप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य ॥२५॥

यहाँ इस सूत्र को संक्षेप में कहते हैं—दर्शन की विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि है । विनय से सम्पन्नता परिपूर्णता विनयसम्पन्नता है । शील और व्रत शीलव्रत और उन शीलव्रतों में अतिचार न होना-शीलव्रतव्यनतिचार है । निरन्तर ज्ञान का उपयोग अध्यास अभीक्षणज्ञानोपयोग है । अभीक्षणज्ञानो-पयोग और संवेग अभीक्षणज्ञानोपयोगसंवेगो है । शक्ति के अनुसार त्याग और तप शक्तितस्या-गतपसी है । साधुओं की वा साधुओं में समाधि-साधुसमाधि है । व्यावृत्ति का भाव वैयावृत्य है और वैयावृत्य करना वैयावृत्यकरण है । अर्हत्त, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन अर्हदाचार्यबहुश्रुत-प्रवचनानि, उनमें अनुराग, भक्ति, अर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्ति । मुमुहूर्तादि की अपेक्षा न करके अवश्य करते योग्य षोडशकारणों का अपरिहार (अवश्य करना) आवश्यकतापरिहृणि है । मार्ग की प्रभावना-मार्गप्रभावना है । प्रवचन में वत्सलत्व-प्रवचनवत्सलत्व है । इस प्रकार समास करने के बाद "आवश्यकपरिहृणिमार्गप्रभावनाप्रवचनवत्सलत्वं" यह समाहार द्वन्द्व समास करना चाहिए । ये दर्शनविशुद्धि आदि सोलह प्रत्यय (कारण) भावनायें तीर्थकर नामकर्म के आस्रव की कारण होती हैं । अब उच्च और नीच दो गोत्र के आस्रव का कथन करने वाले दो सूत्रों को मन में धारण करके प्रथम नीच गोत्र के आस्रव के कारणों का निरूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

परनिन्द्या, आत्मप्रशंसा, सदगुणों का उच्छावन और असद्गुणों का उद्भावन ये नीच गोत्र के आस्रव के कारण हैं ॥२५॥

समितिषु प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य तत्प्रतिपालनार्थं प्राणव्यवरोपगुणषडिन्द्रियविषयपरिहरणं संयम उच्यते । स संयमो द्विविधः—अपहृतसंज्ञक उपेक्षासंज्ञकश्च । तत्र अपहृतसंज्ञकस्त्रि-
 मुनेर्जन्तुपनिपाते आत्मानं ततोऽपहृत्य दूरीकृत्य जीवान् पालयत उत्कृष्टः स्वधीनज्ञानादिकस्य
 मृदुना मयूरपिच्छेण प्रमृज्य परिहरतो मध्यमः संयमः । उपकरणान्तरेण प्रमृज्य
 परिहरतो निष्कृष्टः संयमः इत्यपहृतसंयमस्त्रिविधः । अथोपेक्षासंयम उच्यते—देशकाल-
 विधानज्ञस्य परेषामनुरोधेन व्युत्सृष्टकायस्य त्रिगुणतुल्यस्य मुनेः रागद्वेषयोर्न भिष्वङ्ग
 उपेक्षासंयमः । उपाजितकर्मक्षयार्थं तपस्विना तप्यते इति तपः, तद् द्वादशविधं वक्ष्यमा-
 णविस्तरं ज्ञातव्यम् । संयमिनां योग्यं ज्ञानसंयमशौचोपकरणोद्दिदानं त्याग उच्यते ।
 नास्ति अस्य किञ्चन किमपि अकिञ्चनो निष्परिग्रहः तस्य भावः कर्म वा आकिञ्चन्यम्
 निजशरीरादिषु संस्कारपरिहाराय ममेदमित्यभिसन्धिनियेधनमित्यर्थः । तदाकिञ्चन्यं
 चतुःप्रकारं भवति—स्वस्य परस्य च जोषितलोभपरिहरणं स्वस्य परस्य च आरोप्यलोभ-
 परिहरणं स्वस्य परस्य च इन्द्रियलोभपरित्यजनं स्वस्य परस्य चोपभोगलोभोऽभनञ्चेति ।

प्रवृत्ति करने वाले मुनिराज के समितियों का पालन करने के लिए छह काय के जीवों की विराधना
 का और पाँच इन्द्रिय तथा मानसिक विषयों का त्याग करना उत्तम संयम है । वह संयम दो प्रकार
 का है—अपहृत संज्ञक और उपेक्षा संज्ञक । उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से अपहृत संज्ञक संयम
 तीन प्रकार का है । प्राणुकवसती भोजन आदि है बाह्य साधन जिसके, ऐसे स्वाधीन ज्ञानादि वाले
 मुनि के स्थान में प्राणियों का समागम हो जाने पर जो मुनि स्वयं को वहाँ से हटाकर जीवों की रक्षा
 करता है उसके उत्तम अपहृत संयम होता है । अर्थात् जो मुनि जीवों के स्थान से स्वयं दूर हो जाता
 है, जन्तुओं को वहाँ से नहीं हटाता है, वह उत्तम अपहृत संयम है । कोमल मयूरपिच्छिका से जीवों
 को हटाने वाले के मध्यम अपहृत संयम होता है । मयूरपिच्छिका के सिवाय अन्य किसी वस्तु से
 प्राणियों को हटाता है उसके जघन्य अपहृत संयम होता है । इस प्रकार अपहृत संयम तीन प्रकार
 का है । अब उपेक्षासंयम कहते हैं—जो देशकाल का ज्ञान है, दूसरों के अनुरोध से जिसने काय के
 ममत्व का त्याग किया है तथा जो तीन गुणित का धारक है, ऐसे मुनिराज के जो रागद्वेष का त्याग
 होता है, वह उपेक्षा संयम है अर्थात् रागद्वेष का त्याग करना उपेक्षासंयम है । उपाजित कर्मों का
 क्षय करने के लिए तपस्वियों के द्वारा जो तपा जाता है उसको तप कहते हैं । यह तप १२ प्रकार
 का है । इसका विस्तारपूर्वक वर्णन तपों के वर्णन में करेंगे । संयमीजनों के योग्य ज्ञान, संयम और
 शौच के उपकरण आदि देना त्याग है* । नहीं है कुछ भी जिसके वह प्रकिंचन निष्परिग्रहो कहलाता
 है । अकिंचन का भाव वा कर्म आकिंचन्य कहलाता है । अपने शरीर या परपदार्थों में संस्कारों का
 परिहार करने के लिए 'यह मेरा है' इस प्रकार के मोह (ममता) का त्याग करना उत्तम आकिंचन्य
 धर्म है । इसके चार भेद हैं—अपने और पर के जीवन के लोभ का त्याग करना । अपने और पर के

*ज्ञानोपकरण—शास्त्र । संयमोपकरण—विच्छिका । शौचोपकरण—कमण्डलु । आदि शब्द से आहार आदि ।

पूर्वानुभुक्तवनितास्मरणं वनिताकथास्मरणं वनितासङ्गासक्तस्य शय्यासनादिकञ्च अब्रह्म
 तदवर्जनात् ब्रह्मचर्यं परिपूर्णं भवति । स्वेच्छाचारप्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थं गुरुकुलवासो वा
 ब्रह्मचर्यमुच्यते । गुणितसूत्रं प्रवृत्तिनिग्रहार्थम्, तत्रासमर्थानां प्रवृत्त्यभ्युपायप्रदर्शनार्थं द्वितीयं
 समितिसूत्रम् । इदन्तु तृतीयं सूत्रं दशविधकर्मकथकं पञ्चसमितिषु प्रवर्तमानस्य मुनेः
 प्रमादपरिहरणार्थं बोद्धव्यम् । क्षमा च मार्दवञ्च अर्जवञ्च सत्यञ्च शौचञ्च संयमश्च
 तपश्च त्यागश्च आकिञ्चन्यञ्च ब्रह्मचर्यञ्च क्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्यत्यागा-
 किञ्चन्यब्रह्मचर्याणि । उत्तमानि दृष्टप्रयोजनपरिवर्जनानि च तानि क्षमादीनि तानि
 तथोक्तानि, एतानि दश धर्म इति धर्मसंज्ञानि संवरकारणानि वेदितव्यानीति क्रियाकारक-
 सम्बन्धः । तप्तलोहपिण्डवत् क्रोधादिपराभूतेन मुनिना उत्तमक्षमादीनि स्वपरहितेषुणा
 कर्तव्यानि ।

अथेदानीमनुप्रेक्षानिरूपणार्थं सूत्रमिदमुच्यते—

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिर्जंरालोकबो-
 धिदुर्लभधर्मस्वाख्यातवानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥

आरोग्य के लोभ का त्याग करना । अपने और पर के इन्द्रियों के लोभ का त्याग करना । अपने
 और पर के उपभोग्य वस्तु के लोभ का त्याग करना । पूर्वमें भुक्त वनिताओं का स्मरण करना,
 स्त्री सम्बन्धी कथाओं का स्मरण करना, ललनाओं में आसक्ति का त्याग नहीं करना, ललनाओं के
 द्वारा सेवित शयन, आसन आदि का उपयोग करना आदि कार्यों से ब्रह्मचर्य व्रत का घात होता है
 अतः इनका त्याग करने से ब्रह्मचर्य व्रत परिपूर्ण होता है । स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति की निवृत्ति के
 लिये गुरुकुल में निवास करना, ब्रह्मचर्य कहलाता है । मन, वचन और काय से स्त्री मात्र के सेवन
 का त्याग करना ब्रह्मचर्य व्रत है । विषयों में प्रवृत्ति को रोकने के लिये प्रथम सूत्र में गुणित का वर्णन
 किया गया है । जो गुणित के पालन में असमर्थ है, उसको प्रवृत्ति के उपाय को बतलाने के लिये
 द्वितीय सूत्र में समिति बतलाई गई है । और समिति में प्रवृत्ति करने वाले मुनि को प्रमाद का
 परिहार करने के लिये तृतीय सूत्र में दस प्रकार के धर्म का वर्णन किया है । ये उत्तम क्षमा आदि
 दस धर्म संवर और निर्जंरा के कारण हैं । इनमें उत्तम विशेषण श्रुतानुभुतदृष्ट प्रयोजन का निषेध
 करने के लिये दिया गया है । ये उत्तम क्षमा, मार्दव, अर्जव शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य
 और ब्रह्मचर्य नामक धर्म संवर के कारण हैं । ऐसा क्रिया का सम्बन्ध लगाना चाहिए । संतप्त लोहे
 के समान आत्मीय गुणों के विनाशक क्रोधादिक के निमित्त मिल जाने पर भी अपने हित के इच्छुक
 मुनिगणों के उत्तम क्षमा आदि धर्म के द्वारा क्रोधादिक का परिहार करना चाहिए ।

अब संवर की कारणभूत अनुप्रेक्षाओं का कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं—

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आलव, संवर, निर्जंरा, लोक,
 बोधिदुर्लभ और धर्मस्वाख्या तत्त्व का बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है ॥ ७ ॥